Guidelines for Parents of children to be cochlear implanted under ADIP CI Scheme

I. Pre-Operative:

1. Ensure a detailed pre cochlear implant (CI) counselling by the empanelled audiologist or surgeon.
2. Read and fill the parent declaration form regarding your choice of therapy and mapping center. The form to be submitted by you directly or through the empanelled hospital/ center.

II. Post-Operative Rehabilitation:

Therapy:

1. Inform the initiation of therapy to AYJNISHD (D), Mumbai via telephonically on 02226400820/ 02226400821or email i.e. ayjnishdadippor@gmail.com.
2. Under ADIP scheme, CI recipients are provided with 468 therapy sessions free of cost for the first 3 years post-surgery in ADIP empaneled centers nearby.
3. Therapy has to be attended thrice a week regularly.
4. Therapy bills for the CI recipient will be submitted quarterly by the respective empanelled therapist to AYJNISHD (D), Mumbai directly.
5. The therapy bills payment will be done directly to the empanelled therapist after verification.
6. CI beneficiary should finish allotted number of therapy sessions within the given scheme duration i.e. 156 sessions every year for consecutive three years post implant.
7. After each therapy session, sign on the therapy attendance sheet at the empanelled center and also keep a record of the same with them.
8. Parent will receive Rs. 200/- towards travelling for every therapy session attended for three years post implant. A parent travel allowance form certified by therapist with parent bank account details to be submitted quarterly for direct payment of the travel allowance to parent.
9. Be alert about therapy program and the goals which are worked upon by the therapist and continue the same activities at home.
10. Be present in every therapy session to understand the program and carry out the activities at their home.
11. Apart from the therapy by the therapist follow up activities of therapy sessions at home at least for one hour every day.
12. Each therapy session should begin with the checking of the functioning of the cochlear implant of the child.
13. Record progress of the child for improvements in listening and communication.

14. Please drop a letter/ email at AYJNISHD (D), Mumbai or contact telephonically if you face any problems in the above mentioned procedure.

Mapping:

1. Switch on will be done around 3 to 4 weeks after CI surgery depending on the healing of the surgical stitches and clearance of the surgeon.
2. On the day of switch on, audiologist will open the cochlear implant box containing the external parts of the implant in front of you/ family and fill the checklist as per the availability of the parts. In case of any discrepancy in the availability of the parts audiologist will inform immediately to the company and AYJNISHD(D) for resolution.
3. Once the external parts of the cochlear implant are fitted to the beneficiary the audiologist will switch on the device.
4. Regular mapping sessions are conducted thereafter as per the requirement of the child.
5. Mapping is provided free of cost in the first 3 years of post-cochlear implant surgery by an audiologist of the ADIP empanelled center nearby.
6. Under the ADIP Scheme for the first three years, mapping charges will be directly paid to the empanelled audiologist.
7. Mapping bills for the CI beneficiary will be submitted quarterly by the concerned Audiologist to AYJNISHD(D), Mumbai directly.
8. After each mapping session parents have to sign on the mapping attendance sheet at the empanelled center and also keep a record of the same.
9. Parents to be alert about listening abilities of the child. If any doubt to contact the Audiologist immediately.

III. Care and maintenance of cochlear implant:

Immediately after the surgery:

- Warranty of the internal implant starts from the day of surgery and extends upto 10 years.
- Discharge 3 to 5 days after surgery.
- May need visits to the hospital 2 to 3 times for examination of surgical wound.
- Care to be taken for wound healing as instructed by the surgeon.
- Switch on of the implant 3 to 4 weeks after surgery post clearance from surgeon about healing of wound.

On/After the switch on:

- Get familiar with the name of the processor and accessories of the implant.
- Processor warranty starts from the switch on day till 5 years.
- Warranty of accessories as per company specifications.
- Prevent the processor and the accessories from humidity, fire, dust and close proximity from other electronic devices, cosmetics, oil etc.
- To be careful from falls and accidents on the implanted side.
- Monitor upper respiratory tract infections.
- To consult the surgeon for ear discharge especially from the implanted ear.
- To consult the surgeon for any redness, discoloration, itching on the site of coil or processor.
- Attend the mapping sessions as per schedule and requirement.

Daily monitoring:

- Keep the area of implant on head dry and clean.
- Inspect implant area and stitches.
- Monitor marks of the magnet on the skin.
- Check the battery corrosion.
- Clean the processor, contact points and pins.
- Handle switches and cables carefully.
- Use monitor earphones and signal check (may vary from company to company).
- Use dry store box.
- Monitor battery discharge and recharging of batteries.
- Maintain a diary for noting the observations.

Weekly monitoring/ once in 2 and 3 months:

- Remove the magnet and clean it weekly.
- Change the dry brick/ desiccant in the dry store box once in 2 months (Or as per company specifications).

- Change the microphone protectors every 3 months (applicable as per the company).

Financial aspects:

As per revised ADIP scheme financial assistance will be provided for the following.

- Mapping for 3 years (not extendable) for Prelingual and Post lingual recipients.
- Therapy for 3 years (not extendable) for Prelingual recipients.
- Therapy for 2 years (not extendable) for Post lingual recipients.
- Travelling expenses for attending therapy (As per the revised ADIP scheme)

As per revised ADIP scheme financial assistance **not** provided for the following.

- Out of warranty service and repair of the processor and/or accessories.
- Theft, loss, physical damage of the processor and/or accessories with or without warranty.
- Purchase of processor and/or accessories.
- Upgradation cost of processor – every few years for external processor.

For the aspects mentioned above it is recommended that you save some amount every month towards costs of accessories, repair, upgrade etc.

I/we parents of ______________________ have understood the above guidelines and agree to abide by the ADIP CI scheme rules.

Parents Signature:

Date:

एडिप सीआई योजना के तहत कॉक्लिअर इंप्लांट किए गए बच्चों के अभिभावकों हेतु दिशानिर्देश

III. सर्जरी से पूर्व :

3. पैनल में शामिल ऑडियोलॉजिस्ट या सर्जन द्वारा विस्तृत प्री कॉक्लिअर इम्प्लांट (सीआई) परामर्श सुनिश्चित करें।
4. अभिभावकगण अपनी पसंद का थैरेपी और मैपिंग केंद्र चुनते हुए घोषणा पत्र को पढ़ें और भरें। फॉर्म आपके द्वारा सीधे या पैनलबद्ध अस्पताल/केंद्र के द्वारा जमा किया ।

IV. सर्जरी के पश्चात् :

थैरेपी:

15. उपचार शुरू होने की सूचना अ.या.जं.रा.वा.श्र.दि. संस्थान, मुंबई को टेलीफोन सं. 02226400820/ 02226400821 या ईमेल आईडी ayjnishdadippor@gmail.com पर अवश्य दें।
16. एडिप योजना के तहत, सीआई प्राप्तकर्ताओं को सर्जरी के बाद पहले 3 वर्षों के लिए निकटतम पैनलबद्ध केंद्रों में 468 चिकित्सा सत्र निःशुल्क प्रदान किए जाते हैं।
17. थैरेपी हेतु सप्ताह में तीन बार नियमित रूप से उपस्थित होना चाहिए।
18. सीआई प्राप्तकर्ता के लिए थैरेपी बिल संबंधित पैनल में शामिल थैरेपिस्ट द्वारा प्रत्येक तिमाही में सीधे अ.या.जं.रा.वा.श्र.दि. संस्थान, मुंबई को प्रस्तुत किए जाएंगे।
19. चिकित्सा बिलों का भुगतान सत्यापन के बाद सीधे पैनलबद्ध थैरपिस्ट को किया जाएगा।
20. सीआई लाभार्थी को दी गई योजना अवधि के भीतर आवंटित थैरेपी सत्रों को पूरा करना चाहिए, यानी इंप्लांट के बाद लगातार तीन वर्षों तक हर साल 156 सत्र।
21. प्रत्येक थैरेपी सत्र के बाद, पैनलबद्ध केंद्र पर थैरेपी उपस्थिति पत्र पर हस्ताक्षर करें और उसका रिकॉर्ड भी अपने पास रखें।
22. इंप्लांट के बाद तीन साल तक हर थैरेपी सत्र के लिए अभिभावकों को 200/- रु. यात्रा भत्ता के रूप में दिए जाएगें। अभिभावक को यात्रा भत्ते के भुगतान हेतु बैंक खाता विवरण सहित थैरेपिस्ट द्वारा हस्ताक्षरित कर यात्रा भत्ता फॉर्म प्रत्येक तिमाही में जमा किया जाना चाहिए।
23. थैरेपी कार्यक्रम और थैरेपिस्ट द्वारा तय किए गए लक्ष्यों हेतु सजग रहें और घर पर वही गतिविधियां जारी रखें।
24. कार्यक्रम को समझने के लिए प्रत्येक थैरेपी सत्र में उपस्थित रहें और घर पर ऐसी गतिविधियों को करें।
25. थैरेपिस्ट द्वारा थैरेपी के अलावा घर पर प्रतिदिन कम से कम एक घंटे के लिए थैरेपी सत्रों की गतिविधियों का पालन करें।
26. प्रत्येक थैरेपी सत्र की शुरुआत बच्चे के कॉक्लिअर इंप्लांट के फंगशन की जांच के साथ होनी चाहिए।
27. सुनने और संचार में सुधार के लिए बच्चे की प्रगति को रिकॉर्ड करें।

28.यदि आपको उपरोक्त प्रक्रिया में कोई समस्या आती है तो कृपया अ.या.जं.रा.वा.श्र. दि. संस्थान, मुंबई को पत्र/ईमेल या टेलीफोन पर संपर्क करें।

<u>मैपिंग:</u>

10.सीआई, सर्जरी के लगभग 3 से 4 सप्ताह बाद स्विच ऑन किया जाएगा, जोकि सर्जिकल टांकों के उपचार और सर्जन की मंजूरी पर निर्भर करता है।

11.स्विच ऑन के दिन, ऑडियोलॉजिस्ट आपके / परिवार के सामने इंप्लांट के बाहरी हिस्सों वाले कॉक्लिअर इम्प्लांट बॉक्स को खोलेगा और भागों की उपलब्धता के अनुसार चेकलिस्ट भरेगा। भागों की उपलब्धता में किसी भी तरह की विसंगति के मामले में ऑडियोलॉजिस्ट तुरंत समाधान के लिए कंपनी और अ.या.जं.रा.वा.श्र. दि. संस्थान, मुंबई को सूचित करेगा।

12.एक बार कॉक्लिअर इम्प्लांट के बाहरी हिस्सों को लाभार्थी में फिट कर दिया जाता है तब ऑडियोलॉजिस्ट डिवाइस को चालू कर देगा।

13.बच्चे की आवश्यकता को ध्यान में रख कर बाद में भी नियमित मैपिंग सत्र आयोजित किए जाते हैं।

14.एडिप पैनलबद्ध निकटतम केंद्र के ऑडियोलॉजिस्ट द्वारा कॉक्लिअर इंप्लांट सर्जरी के पश्चात पहले 3 वर्षों में मैपिंग निःशुल्क प्रदान की जाती है।

15.एडिप योजना के तहत पहले तीन वर्षों के लिए मैपिंग शुल्क का भुगतान सीधे पैनलबद्ध ऑडियोलॉजिस्ट को किया जाएगा।

16.सीआई लाभार्थी के मैपिंग बिल ऑडियोलॉजिस्ट द्वारा प्रत्येक तिमाही में अ.या.जं.रा.वा.श्र. दि. संस्थान, मुंबई को सीधे प्रस्तुत किए जाएंगे।

17.प्रत्येक मैपिंग सत्र के बाद अभिभावक को पैनल में शामिल केंद्रों पर मैपिंग उपस्थिति शीट पर साइन करना होगा और उसका रिकॉर्ड भी रखना होगा।

18.अभिभावक को बच्चे की सुनने की क्षमता के प्रति सतर्क रहना चाहिए। यदि कोई संदेह हो तो तुरंत ऑडियोलॉजिस्ट से संपर्क करें।

III. कॉक्लिअर इंप्लांट की देखभाल और रखरखाव:

सर्जरी के तुरंत पश्चात्:

- आंतरिक इंप्लांट की वारंटी सर्जरी के दिन से शुरू होती है और 10 साल तक रहती है।
- सर्जरी के 3 से 5 दिनों के बाद छुट्टी दे दी जाती है।
- सर्जिकल घाव की जांच के लिए 2 से 3 बार अस्पताल जाने की जरूरत पड़ सकती है।
- सर्जन के निर्देशानुसार घाव भरने के लिए देखभाल की जानी चाहिए।
- सर्जन की मंजूरी तथा घाव भरने के पश्चात 3 से 4 सप्ताह बाद इंप्लांट स्विच ऑन करवाए।

स्विच ऑन करने के पश्चात्:

- इम्प्लांट के प्रोसेसर और एक्सेसरीज़ के नामों से परिचित हों।

- प्रोसेसर की वारंटी स्विच ऑन के दिन से शुरू होकर 5 साल तक रहेगी।
- सहायक उपकरणों की वारंटी कंपनी विनिर्देशों के अनुसार रहेगी।
- प्रोसेसर और सहायक उपकरणों को नमी, आग, धूल और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों, सौंदर्य प्रसाधनों, तेल आदि के संपर्क में आने से बचाएं।
- इंप्लांट की तरफ गिरने या दुर्घटनाओं से सावधान रहें।
- ऊपरी श्वसन पथ (upper respiratory tract) के संक्रमण की निगरानी करें।
- विशेष रूप से इंप्लांटेड कान से मवाद/पीप (pus)आने पर सर्जन से परामर्श लें।
- कॉइल या प्रोसेसर के जगह पर लाल पड़ने, मलिनकिरण, खुजली होने पर सर्जन से परामर्श लें।
- आवश्यकतानुसार मैपिंग सत्र में भाग लें।

दैनिक देखरेख:

- सिर पर इंप्लांट की जगह को सूखा और साफ रखें।
- इंप्लांट की जगह और टांकों की देखभाल करें।
- त्वचा पर चुंबक के निशान की देख-रेख करें।
- बैटरी पर जंग की जांच करें।
- प्रोसेसर, संपर्क बिंदुओं और पिनों को साफ रखें।
- स्विच और केबल का सावधानी से ध्यान रखें।
- मॉनिटर इयरफ़ोन और सिग्नल चेक का उपयोग करें (भिन्न-भिन्न कंपनी में अलग-अलग हो सकते हैं)।
- सूखे स्टोर बॉक्स का प्रयोग करें
- बैटरी डिस्चार्ज और बैटरी के रिचार्जिंग की जांच करें।
- टिप्पणियों को नोट करने के लिए एक डायरी बनाएं।

साप्ताहिक / 2 और 3 माह में एक बार देख-रेख:

- चुंबक को हटा कर इसे साप्ताहिक साफ करें।
- सूखे स्टोर बॉक्स के ड्राय ब्रिक/शुष्कक को 2 महीने में एक बार (या कंपनी के विनिर्देशों के अनुसार) बदलें ।
- हर 3 महीने में माइक्रोफ़ोन प्रोटेक्टर बदलें (कंपनी के अनुसार लागू)।

वित्तीय पहलू :

संशोधित एडिप योजना के अनुसार निम्नलिखित के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी:

- प्रीलिंगुअल और पोस्ट-लिंगुअल प्राप्तकर्ताओं के लिए 3 साल के लिए मैपिंग (विस्तार योग्य नहीं)।
- प्रीलिंगुअल प्राप्तकर्ताओं के लिए 3 साल के लिए थैरेपी (विस्तार योग्य नहीं)।
- पोस्ट-लिंगुअल प्राप्तकर्ताओं के लिए 2 वर्षों के लिए थैरेपी (विस्तार योग्य नहीं)।

- थैरेपी में भाग लेने के लिए (संशोधित एडिप योजना के अनुसार) यात्रा भत्ता।

संशोधित एडिप योजना के अनुसार निम्नलिखित के लिए वित्तीय सहायता प्रदान नहीं की जाती।

- प्रोसेसर और/या सहायक उपकरण की वारंटी समाप्त होने पर मरम्मत।
- वारंटी सहित या बिना वारंटी के प्रोसेसर और/या एक्सेसरीज की चोरी, हानि, या भौतिक क्षति होने पर।
- प्रोसेसर और/या एक्सेसरीज की खरीद पर।
- प्रोसेसर की अपग्रेडेशन लागत - बाहरी प्रोसेसर के लिए प्रत्येक कुछ वर्षों पर।

उपर्युक्त बताए गए सभी पहलुओं हेतु यह सलाह दी जाती है कि आप एक्सेसरीज़, मरम्मत, अपग्रेड आदि की लागत के लिए प्रतिमाह कुछ राशि बचाएं।

मैं/हम ____________________________ के अभिभावक ने उपरोक्त दिशानिर्देशों को समझ लिया है और एडिप सीआई योजना नियमों का पालन करने के लिए सहमत हैं।

अभिभावक के हस्ताक्षर:

तिथि: